वर्ष : 21 अंक : 3 (74वाँ अंक) जुलाई-सितंबर, 2016

विचार

'सूचना का अधिकार अधिनियम' - सशक्तिकरण और सुशासन का माध्यम

यूरोपीय संघ

उन्नति
UNNATI

संपादकीय	**3**
■ मोबाइल जानकारी कार्यक्रम	**4**
■ राज्यों के अनुसार विकलांगता पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण	**10**
■ राज्यों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण	**12**
■ राज्यों के अनुसार विधवा पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण	**14**
■ केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है, इच्छाशक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इच्छाशक्ति को लागू करना आवश्यक है	**16**
■ 'द मास्टर हेडमास्टर' - गौतम शर्मा	**20**
■ **गतिविधियाँ**	**23**

संपादकीय

ज्ञान ही शक्ति है! सूचना का अधिकार अधिनियम - सशक्तिकरण और सुशासन का माध्यम

28 सितंबर को 'अंतरराष्ट्रीय जानने का अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि 'सूचना' एक शक्ति है। 'लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था' सामान्य नागरिक को देश में जो हो रहा है, उसके साथ-साथ जहां वह रह रहा है, उस पंचायत या नगर पालिका में जो हो रहा उसे जानने का अधिकार प्रदान करता है। सूचना मिलने से नागरिक विकास की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और वे अपने दैनिक जीवन से संबंधित पहलुओं की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। नागरिक के रूप में मतदान द्वारा उम्मीदवारों का चुनाव करने के साथ-साथ हमारी राय, विचारों, शिकायतों को उपयुक्त स्तर पर पहुंचाना और जिम्मेदार सदस्य के रूप में संबंधित कार्य को करने की हमारी जिम्मेदारी है।

लोक आंदोलन के मद्देनजर भारत में 2005 में 'सूचना के अधिकार' का कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ना, भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासन की प्रक्रिया को सहज करने में मदद करना था। अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय, भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम को देश का सबसे बुनियादी कानून मानती हैं क्योंकि इस कानून का उपयोग स्थानीय ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, राशन की दुकान से लेकर 2-जी घोटाले तक और दूरदराज के गांवों से लेकर दिल्ली तक के लिए किया जा सकता है।

सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दो मुख्य पहलू इस प्रकार हैं: पहला, देश का आम आदमी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दे सकते है। जैसे, गांव का कोई भी व्यक्ति जानकारी मांग सकता है कि पूरी तहसील या पंचायत समिति में कितने हैंडपंप हैं, इनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने बंद हैं। इस आधिकारिक जानकारी के आधार पर बंद हैंडपंप की मरम्मत करवाई जाएगी। इसके अलावा, यह जानकारी भी मांगी जा सकती है कि गांव में कितने तालाबों और जलाशयों का निर्माण करवाया गया है और कितने श्रमिकों को जलाशयों के निर्माण में लगाया गया है और उन्हें कितना भुगतान किया गया है। इन जानकारियों के माध्यम से कार्य के उद्देश्य का भी पता चल सकता है और योजना का कार्यान्वयन भी अच्छी तरह से होता है और लाभार्थियों को अपने अधिकार प्रभावी ढंग से हासिल हो सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का यह 12वां वर्ष है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ओर से प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, देश में विभिन्न राज्य आयोगों में 1.75 करोड़ आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

आरटीआई का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी धारा 4 (बी) है, जो सभी सरकारी विभागों सहित सभी सरकारी प्राधिकरणों और संस्थाओं को इस धारा के 17 मुद्दों से संबंधित सभी सूचनाएं सार्वजनिक करने का निर्देश देती है। एक जानकारी के मुताबिक, अगर सार्वजनिक इकाइयां निर्देश के अनुसार ब्यौरे सार्वजनिक करें तो आरटीआई आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

गरीबी की समस्या के निवारण के लिए लोगों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना आवश्यक है। खासकर, स्थानीय, पंचायत या ग्रामीण स्तर पर सूचनाएं सार्वजनिक करने से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कुछ गतिविधियों को करने के उद्देश्य की सुसंगतता स्थापित होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत भवनों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य केन्द्रों की दीवारों पर महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखने से सेवा में सुधार हो सकता है। यदि उपलब्ध दवाओं की सूची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रदर्शित की जाए, तो चिकित्सा अधिकारियों को उन दवाओं को लिखना ही होगा और वे मरीजों को बाहर से दवा को खरीदने की

शेष पृष्ठ 25 पर

मोबाइल जानकारी कार्यक्रम

यूरोपीय संघ के सहयोग से आगा खां ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत) द्वारा गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की 6 तहसीलों में लागू 'सार्वजनिक योजनाओं और सेवाओं की प्राप्ति में बेहतरी लाने' के कार्यक्रम के तहत मोबाइल जानकारी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। एकेआरएसपी (आई) के परियोजना प्रबंधक, **गोविंद देसाई** ने इस कार्यक्रम के अनुभवों से यह आलेख तैयार किया है।

आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन (एनआरएम) के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए आगा खां ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत) - एकेआरएसपी (आई) कार्यरत है। एकेआरएसपी (आई) ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। मानव संसाधन के विकास और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के मॉडलों का विकास करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वे स्थानीय समुदायों को सीधा सहयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय सतत आधार पर संसाधनों का प्रबंधन करे पंचायत समिति एकेआरएसपी (आई) सभी कार्यों का संचालन करने हेतु विविध सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहन देता है।

वर्तमान में ग्रामीण सुशासन परियोजना के तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं की सुलभता में सुधार लाने के लिए एकेआरएसपी (आई) पंचायती राज संस्थाओं के साथ काम कर रहा है। एकेआरएसपी (आई)ने पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सूचना केंद्र स्थापित है। ये केंद्र नागरिकों और पंचायतों को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और स्थानीय प्रशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।

ग्रामीण स्तर पर नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकी से संबंधित जरूरतों पर केंद्रित कई सरकारी कार्यक्रम लागू हैं। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में कार्यान्वयन की अनोखी संरचना, चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया शामिल है। नागरिकों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने में मुख्य चुनौती जानकारी की कमी को पूरा करना है।

समस्या

यह पर्याप्त नहीं है कि नागरिकों को योजनाओं केवल नामों या लाभों के बारे में जानकारी हो, बल्कि सभी प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। नागरिकों को निम्नांकित जानकारी होना आवश्यक है:

- **विविध समुदाय और पेशेवर समूह** - जैसे विधवाओं, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, भूमिहीन लोगों, किसानों, बेरोजगार युवाओं आदि जैसे लाभार्थियों और पेशेवर समूहों के लिए उपलब्ध योजनाओं के बारे में विस्तृत विवरण
- **योजनाएं या सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदंड**- ये मानदंड प्रत्येक योजना के अनुसार अलग-अलग हैं। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक वर्ग या भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि जवान बेटे वाली विधवा को गुजरात में पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वह इस लाभ की हकदार है।
- **लाभ या सेवा का प्रकार** - इस लाभ या सेवा के प्रकार में भी नागरिकों के विशेष समूह की विभिन्न वर्गों के लिए भिन्नता होती है। जैसे, मध्य प्रदेश में 39 वर्ष से कम उम्र की विधवा को 150 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जबकि 40 से अधिक वर्ष की विधवा को हर महीने 300 रुपये पेंशन मिलती है।
- **आवश्यक दस्तावेज** - किसी भी सेवा या लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता साबित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें बुनियादी पहचान और निवास का प्रमाण तथा कुछ मामलों में कानूनी हलफनामा भी शामिल है।

- **लाभ का प्रमाणीकरण** - कुछ योजनाओं के लिए वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य योजनाओं के लाभ के लिए तीन से पांच साल के अंतराल पर 'नवीनीकरण' करवाना आवश्यक है।
- **आवेदन की प्रक्रिया** - कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा या आईसीडीएस या पीडीएस, जबकि कुछ योजनाओं के लिए पंचायत समिति, जिले या राज्य स्तर पर आवेदन करना होता है। जैसे जनजातीय उप-योजना या उच्च शिक्षा के लिए सहायता योजनाएं। ई-गवर्नेंस उपलब्ध हो तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
- **सूचना का समय** - आवेदन के लिए समय सीमा तय होती है। कई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित समय सीमा होती है। ग्राम सभा जैसे निर्धारित कार्यक्रमों की तारीखें तय की जाती हैं। नागरिकों को इस तारीख के बारे में पहले से जानकारी नहीं हो, तो वे बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में आई किसान पोर्टल पर पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2016 थी।
- **मंजूरी या धन की उपलब्धता की सूचना** - नागरिकों को यह जानकारी मिलना आवश्यक है कि उसका आवेदन मंजूर हुआ है कि नामंजूर, या धन उपलब्ध है या नहीं, जिससे पैसे उसके खाते में जमा हो सकें। ऐसी जानकारी के अभाव में व्यक्ति को पंचायत समिति या तहसील कार्यालय से जानकारी लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और ग्रामीण नागरिकों का पैसा और समय बर्बाद होता है।
- **योजनाओं में बदलाव** - केन्द्र और राज्य सरकार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड, लाभ की प्रक्रिया या लाभ की प्रकृति या लाभ के प्रकार या लाभ देने की प्रकृति में बदलाव करती रहती हैं। इस प्रकार, यदि नागरिकों को नवीनतम बदलाव के बारे में पता नहीं हो, तो उसे लाभ प्राप्त करने में देरी हो सकती है या वे लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पीडीएस में से खाद्य सुरक्षा लाभ के लिए 'समग्र' पहचान पत्र जरूरी किया है।

जब हम इस तरह के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हम जानकारी के कई पहलुओं के बारे में - विशेष रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों से संबंधित सूचना में समय और जानकारी की गहराई के बारे में समझ सकते हैं। वर्तमान में, सरकार ने अलग-अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में नागरकिों जागरूकता करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रमों का उपयोग कर रही है। संचार माध्यम वैविध्य पूर्ण हैं और सरकार इनका इस्तेमाल व्यापक रूप से कर रही है। इसमें रेडियो जिंगल और टीवी विज्ञापन, समाचार पत्रों की सार्वजनिक खबरें, दीवारों पर ड्राइंग और लेखन और कई बार नुक्कड़ नाटक जैसे श्रव्य-दृश्य माध्यम भी शामिल होते हैं। देश के असमान भौगोलिक क्षेत्र, भाषा की विविधता, कम साक्षरता दर और देश के दूर-दराज़ वाले क्षेत्रों में टीवी और समाचार पत्रों की कम पहुंच को देखते हुए, जरूरतमंद नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, ये रूप प्रलेखन, प्रक्रियाओं, समयबद्धता, आदि से संबंधित जानकारी को विस्तार और गहराई में नहीं पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा, संचार मीडिया की सामग्री एकतरफा प्रसारित होती है। इसलिए, नागरिक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते और अपनी जरूरतें भी नहीं बता सकते। नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिसमें दो-तरफा संचार हो।

उपाय

गरीब और ग्रामीण नागरिकों की निम्नांकित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विशिष्ट उपाय खोजने की जरूरत है:

- साक्षरता की समस्या से बचने के लिए लिखित सामग्री के बजाय मौखिक सामग्री हो।
- केवल औपचारिक जानकारी देने के बदले यह सामग्री विभिन्न दस्तावेजों, प्रमाणीकरण और प्रक्रिया के बारे में गहन सूचना देने वाली हो।
- समयबद्धता - समय सीमा पूरी होने से पहले या योजना की तारीख से पहले प्रत्येक नागरिकों को जानकारी मिलनी चाहिए।
- सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध - सभी नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर सूचना आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, दो-तरफा संचार करना।

पहले सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए एकेआरएसपी (आई) ने ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें काफी खर्च होता है। इसके अलावा, श्रोताओं के बारे में जानकारी संकलित करना मुश्किल होने, इसके साथ ही जानकारी इस्तेमाल कैसे किया गया और श्रोताओं को कौनसी अतिरिक्त जानकारी चाहिए थी, उसके बारे में पता नहीं लगने से रेडियो कार्यक्रम के असर को मापना भी संभव नहीं था। इन चुनौतियों का सामना करने के साथ ही उपरोक्त जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकेआरएसपी (आई) ने सर्वेक्षण के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए मोबाइल का उपयोग करने का फैसला किया था। वर्तमान में गुजरात और मध्य प्रदेश में छह जिलों की पांच तहसीलों में रहने वाले 10,000 से अधिक नागरिकों को जानकारी देने के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पांस (आईवीआर) प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्यक्रम को 'मोबाइल जानकारी कार्यक्रम' नाम दिया गया है।

आईवीआर प्रौद्योगिकी का कॉर्पोरेट क्षेत्र में व्यापक उपयोग किया जाता है और अब सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी इस तकनीक का विस्तार हो रहा है। यह मुख्य रूप से आउटबाउंड कॉलिंग और इनबाउंड प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए मंच प्रदान करती है। आईवीआर सिस्टम का उपयोग करके हम अपने श्रोताओं को सप्ताह में दो बार पहले से रेकार्ड संदेश भेजते हैं, जिसमें संगठन के कार्य क्षेत्र से नागरिकों के फोन नंबर लिए गए हैं। इनमें जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, स्व-सहायता समूहों और मंडलों के नेताओं, किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य, आईसीडीएस और शिक्षा विभाग में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

'मोबाइल जानकारी कार्यक्रम' स्थानीय भाषा (बोली) में किया जाता है और यह काम स्थानीय क्षेत्र की टीम द्वारा किया जाता है। वॉइस संदेश के लिए स्क्रिप्ट लिखने और रिकॉर्डिंग के लिए, हमने गुजरात और मध्य प्रदेश के स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन युवा लोगों को रेडियो रिपोर्टर कहा जाता है। रेडियो रिपोर्टर संदेश की गुणवत्ता और सामग्री के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रिया लेते हैं। इस कार्यक्रम की विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मोबाइल से प्रसारण के लिए चरण

- मोबाइल नंबरों का डेटाबेस
- मासिक प्रसारण कैलेंडर तैयार करना
- संदेश विषय की सामग्री का निर्धारण
- एक स्क्रिप्ट और ऑडियो कार्यक्रम तैयार करना
- सेवा प्रदाताओं के आईवीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारण करना
- श्रोता के अनुसार अवधि और गैर-श्रोताओं की खबरों का विश्लेषण करना
- संदेश की सामग्री और प्रारूप पर दर्शकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना

प्रत्यक्ष संचार

लक्षित संचार जन-संचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। अन्य मीडिया (रेडियो, प्रिंट या डिजिटल) की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे उनकी पहुंच व्यापक होती है लेकिन लक्षित समुदाय को जानकारी मिली है या नहीं और क्या व कॉनसी जानकारी कितनी उपयोगी रही या नहीं, इसके बारे में प्रतिक्रियाओं का पता नहीं लग सकता।

स्थानीय भाषा

यह सामग्री स्थानीय बोली में होती है, जो प्रशिक्षित रेडियो रिपोर्टर द्वारा तैयार की जाती है। ध्वनि रूप में होने से श्रोताओं के लिए साक्षरता जरूरी नहीं है।

समय पर जानकारी

ग्राम सभा नागरिकों को योजना से संबंधित शिविरों या नाम पंजीकरण शिविर स्थलों जैसे कार्यक्रमों के बारे में समय और स्थल की समय पर जानकारी उपलब्ध करवाती है।

वर्ग या श्रेणी के अनुसार संदेश

मोबाइल नंबर का डेटाबेस गांव के अनुसार व साथ ही बीपीएल, भूमिहीन लोग, आदिवासी समुदायों, एकाकी जीवन बिताने वाली महिलाओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों आदि जैसे वर्गों के अनुसार तैयार किया जाता है, इसलिए एक निश्चित लक्ष्य समूह को विशिष्ट सूचना भेजी जा सकती है।

समय और पुनरावर्तन

सर्वेक्षण के आधार पर हमने, सप्ताह में दो बार संदेश भेजने का

आईवीआर सिस्टम की पूरी संरचना

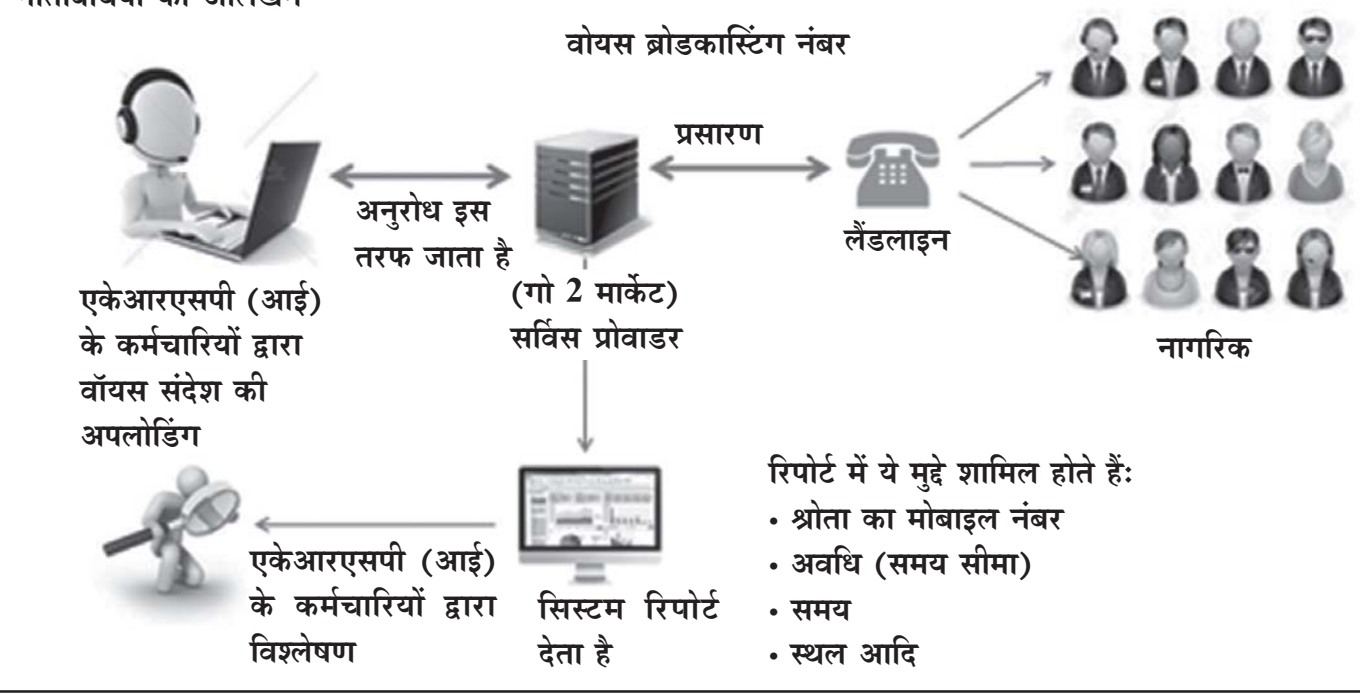

फैसला किया और वह भी शाम के पांच से सात बजे के बीच जब ज्यादातर श्रोता घर पर होते हैं और संदेश सुन सकते हैं।

दोतरफा संचार

नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए या जानकारी (डेटा) एकत्र करने के लिए आईवीआर मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी के कारण हर श्रोता का तत्कालीन व्यक्तिगत डेटा (विवरण) प्राप्त किया जा सकता है और उससे प्रणाली का विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक मामले में समय के साथ पूरे कार्यक्रम का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है।

लागत

तैयार करने और प्रसारण करने के संदर्भ में - यह दोनों तरह से ही बहुत कम खर्चीला कार्यक्रम है। टीम का कोई भी सदस्य आम एमपी 3 रिकॉर्डर और हेड फोन्स से अपनी आवाज में संदेश रिकॉर्ड कर सकता है और यह कार्य कार्यालय भी कर सकता है। अतः, इसके लिए स्टूडियो की भी आवश्यकता नहीं होती। इसका नाम मात्र का खर्च प्रति मिनट करीब 65 पैसे है। इस प्रकार, आपको 10,000 श्रोताओं को 1.5 मिनट का संदेश भेजना हो तो, करीब 9,750 रुपये का खर्च होता है, जो संचार माध्यम के किसी भी अन्य प्रकार और अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में काफी कम है।

इस कार्यक्रम में निम्न विषयों पर विस्तार में योजना बनानी चाहिए:

सामग्री

आप जो जानकारी भेजना चाहते हैं, उसका प्रकार। आम तौर पर हम किसी भी योजना या सेवा के बारे में 3-4 एपिसोड बनाते हैं और उसमें हम इस परियोजना के सभी पहलुओं को शामिल कर लेते हैं।

सामग्री का रूप

किस रूप में सामग्री तैयार करनी है? वार्ता, साक्षात्कार, विवरण, गीत, नाटक, आदि।

पुनः प्रसारण

सर्वेक्षण और जरूरत के आधार पर पुनः प्रसारण निर्धारित किया जा सकता है।

प्रसारण का समय

सर्वेक्षण के आधार पर श्रोताओं के अनुकूल समय और सप्ताह के दिन को निर्धारित किया जा सकता है।

कैलेंडर

मासिक और तिमाही आधार कैलेंडर तैयार करना चाहिए है, जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाली टीम और एक रेडियो पत्रकार को सामग्री का निर्धारण करने में, एक पटकथा लिखने और समय पर प्रसारण करने में सहायक होगा।

परिणाम

यह कार्यक्रम डेढ़ वर्ष से चल रहा है और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद वर्तमान में यह कार्यक्रम नियमित चल रहा है। इस कार्यक्रम की मूख्य सूचनाएं इस प्रकार हैं:

- मध्य प्रदेश और गुजरात की 6 तहसीलों में संचालित। चार भाषाओं (मध्य प्रदेश में हिंदी और बरेला और गुजरात में वसावी और गुजराती में) में प्रसारण।
- श्रोता की कुल संख्या: 10,884 (गुजरात 5,402 एवं मध्य प्रदेश 5,482)
- सक्रिय श्रोता (औसतन): 7,204 (कुल श्रोताओं का 66 प्रतिशत)
- कुल प्रसारित संदेश 144 (मध्य प्रदेश) और 131 (गुजरात)

इस कार्यक्रम के काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके अलावा, नागरिकों को समय पर विस्तृत सूचना प्राप्त होने से उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में भाग लेने में उपयोगी होता है। कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हैं:

- समय पर सूचना मिलने से ग्राम परिषद में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- सरकार द्वारा आयोजित विकलांग शिविर, टीकाकरण शिविर आदि जैसे कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है।
- सरकारी विभाग मोबाइल रेडियो के माध्यम से जानकारी का प्रसार करने के लिए हमारा उपयोग करते हैं। जैसे, स्वास्थ्य विभाग मेघ धनुष कार्यक्रम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग मोबाइल सूचना कार्यक्रम का उपयोग करते है। इसी तरह विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित शिविरों के लिए भी मोबाइल सूचना कार्यक्रम का उपयोग किया जा रहा है।
- आईवीआरएस का उपयोग करके एकत्र डेटा (विवरण) से हमें उन गांवों को खोजने में मदद मिली थी जिन्हें यूआईडी जारी नहीं किया गया था। इन गांवों में हमने सरकार के साथ सह-निर्देशन किया। जिसके आधार पर यूआईडी कार्ड जारी करने के लिए शिविर आयोजित किया गया था।
- नागरिकों ने भी उन लोगों की जानकारी प्रदान की थी जिनके लिए जानकारी प्रासंगिक हो और वह जानकारी उनके लिए उपयोगी हो।

कुछ सफल उदाहरण

समाजशास्त्र में स्नातक मनोज कुमार वसावा अब एक किसान हैं। मनोज कुमार ने बताया कि, 'फोन पर प्राप्त आईसीडीएस के बारे में सूचना के आधार पर हमें यह जानकारी मिली कि बच्चों को किस प्रकार का पोषण देना चाहिए। इस फोन कार्यक्रम से हमें पता चला कि आंगनवाड़ियों द्वारा सभी कुपोषित बच्चों को सोमवार और गुरुवार को लड्डू व फल मिलना चाहिए। हमारे गांव में दो आंगनवाड़ी बच्चों को यह भोजन नहीं देती थी। मेरे तीन बच्चे (एक लड़का और दो लड़कियां) हैं। वे इन आंगनवाड़ियों में जाते हैं। हमारे गांव के माता-पिताओं ने इकट्ठा होकर इस मुद्दे को उठाया, जिससे आंगनवाड़ी पोषक तत्वों वाले आहार का संतुलन रखने लगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि, 'इस कार्यक्रम की वजह से हमें यह भी पता चला है कि हमारे गांव में बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण एक और आंगनवाड़ी की जरूरत है।' इसलिए हमने गांव में इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने तीसरी आंगनवाड़ी स्वीकृत कर दी है।

अमृत वात्सल्य योजना के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त होना अशोकभाई वसावा के चचेरे भाई के लिए एक छिपा वरदान साबित हुआ। मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में सूचना के प्रसार के लिए एकेआरएसपी (आई) का धन्यवाद करते हुए अशोकभाई ने कहा कि 'मेरी बुआ के लड़के के पास अमृत वात्सल्य योजना के तहत दिया जाने वाला कार्ड नहीं था, इसलिए उसे डायलिसिस के लिए इलाज का लाभ नहीं मिलता था। कार्ड के बिना डायलिसिस के लिए हर बार 2,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि हमें कार्ड कहां से मिल सकता है और

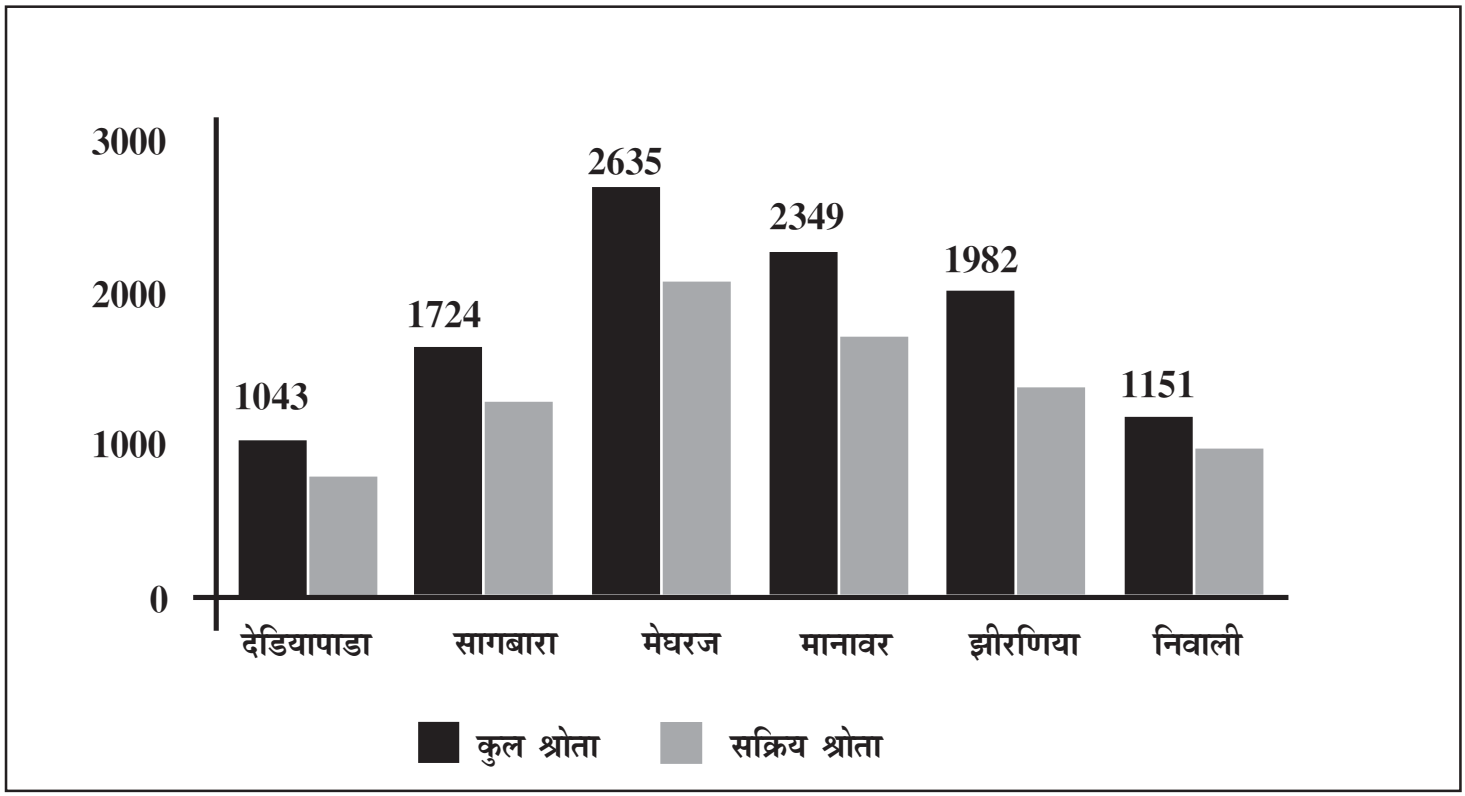

कौनसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हमने अपने चचेरे भाई का नाम दर्ज करवाया। अब उसका मुफ्त में डायलिसिस का इलाज होता है। इतना ही नहीं, जब वह इलाज के लिए जाता है, तब सरकार उसके आने-जाने के करीब 400 रुपये का भुगतान भी करती है।

चुनौती

इस कार्यक्रम के अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन कार्यक्रम के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जिनका विकल्प खोजने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- दक्षिण गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र हमारे कार्य क्षेत्र हैं। यहां पहाड़ी क्षेत्रों के कई गांवों में आज भी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। इन गांवों में सैकड़ों नागरिकों तक पहुँचना मुश्किल है।
- गांवों में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के पास मोबाइल होना कोरी कल्पना है। जिससे महिला स्वास्थ्य समूहों के माध्यम से अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचना एक चुनौती है।
- बार-बार मोबाइल नंबर बदलना: आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में श्रोता अक्सर अपने मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं। इसलिए, श्रोताओं का डेटाबेस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। केवल मिस्ड-कॉल करके श्रोताओं का हमारे समूह में पंजीकरण किया जा सकता है, यह जागरूकता फैलाने के बाद भी इसके लिए समय लगता है।
- अनुरोध पर जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि किसी श्रोता ने पहले कभी मोबाइल जानकारी कार्यक्रम में किसी विशेष योजना के बारे में सुना हो और अब उसे उस योजना के बारे में कुछ और जानकारी की जरूरत हो, लेकिन उसे अब वह योजना याद नहीं हो, या वह कुछ मुश्किल का सामना कर रहा हो। इस प्रकार की स्थितियों में यह आवश्यक है कि श्रोता आवश्यक्ता अनुसार उस योजना के बारे में अपेक्षित जानकारी मिले। हम रिकार्ड किए वॉयस संदेशों को सही ढंग से संग्रह करने के विकल्प खोज रहे हैं, जिससे नागरिकों को उस सामग्री के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन इस काम में समय लगेगा। इसके अलावा, मोबाइल चलाना आना आवश्यक है। साथ ही श्रोता का अनुकूल होना भी आवश्यक है। नागरिकों को अनुरोध पर जानकारी प्रदान करने के लिए मिले। हम जल्द ही मोबाइल हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं।

■

राज्यवार विकलांगता पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण

	(1) गोवा	(2) पांडिचेरी	(3) तेलंगाना
पात्रता के मानदंड और आवश्यक दस्तावेज	• परिवार की आय का प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन वह मापदंड के रूप में नहीं बल्कि उसे संदर्भ के लिए रखा जाता है	• कोई आयु सीमा नहीं • वार्षिक आय 75,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • कम से कम पांच वर्ष से यहां का निवासी होना चाहिए	• कोई आयु सीमा नहीं और विकलांग व्यक्तियों के परिवार के लिए आय की कोई सीमा नहीं। विकलांगता की वजह से विकलांग व्यक्तियों का समाज और परिवार के द्वारा तिरस्कार किया जाता है
मिलने वाले लाभ (प्रति माह)	• एक से 60 साल तक आयु समूह और 90 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए **3,500 रु.** • 21 साल से अधिक आयु वाले और 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए **2,500 रु.** • 1 से 20 वर्ष की आयु समूह वाले और 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए **2,000 रु.**	• 86 से 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए **3,000 रु.** • 66 से 85 प्रतिशत विकलांगता के लिए **2,000 रु.** • 40 से 65 प्रतिशत विकलांगता के लिए **1,500 रु.** • 60 से 79 वर्ष के व्यक्तियों के मामले में विकलांगता के प्रतिशत की परवाह किए बिना स्थायी विकलांगता के लिए **2,200 रु.** • 80 साल पार करने वाले व्यक्तियों के लिए विकलांगता के प्रतिशत की परवाह किए बिना स्थायी विकलांगता के लिए **3,000 रु.**	• 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए **1,500 रु.** **नोटः** सरकारी आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर समय-समय पर सर्वेक्षण करते हैं और पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं

(4) आंध्र प्रदेश	(5) कर्नाटक	(6) दिल्ली	(7) तमिलनाडु	(8) गुजरात
• आय या अन्य कोई भी मापदंड नहीं	• वार्षिक आय 25,000 रु. से कम	• सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 75,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए	• 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले सभी बेरोजगार व्यक्ति	• 79 साल से कम आयु • 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता • बीपीएल सूची में नाम (0-16) • सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित • पहचान कार्ड होना जरूरी
• कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए **500 रु.**	• 75 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए **500 रु.** • 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए **1200 रु.**	• 0-60 साल की उम्र और 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्यक्तियों के लिए **1,500 रु.**	• **1,000 रु.**	• 17 साल से कम आयु वाले व्यक्ति के लिए **400 रु.** • 18-79 वर्ष के लिए व्यक्ति के लिए **600 रु.**
नोटः गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 फीसदी आरक्षण	**नोटः** ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमों में तीन प्रतिशत आरक्षण		**नोटः** तीन फीसदी आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च स्तरीय समिति	

■

राज्यवार वृद्धावस्था पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण

	(1) गोवा	(2) पांडिचेरी	(3) तेलंगाना
पात्रता के मानदंड और आवश्यक दस्तावेज	• 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु • आवेदक परिवार की सालाना प्रति व्यक्ति आय योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता की राशि से कम होनी चाहिए • पति और पत्नी दोनों पात्र हैं।	• 75,000 रु. से कम सालाना आय • निवास का प्रमाण	• वार्षिक 75,000 रू. से कम आय • 60 से अधिक वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए • 50 से अधिक वर्ष वाले बुनकरों और ताड़ी रस निकालने वालों के लिए
मिलने वाले लाभ (प्रति माह)	• **2,000 रु.**	• 55 - 59 साल के लिए **1,500 रु.** • 60-79 साल के लिए **2,000 रु.** • 80 और अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए **3,000 रु.**	• **1,000 रु.** • **सामाजिक-आर्थिक मापदंड**: आसरा पेंशन योजना सिर्फ उन वंचित परिवारों के लिए है जिस परिवार में बुढ़ापे या वैधव्य के कारण परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। परिवार के कमाने वाले सदस्यों से अपने माता-पिता की देखभाल करने की उम्मीद की जाती है। निम्नांकित स्थितियों वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा: (1) जिनके पास 3 एकड़ से अधिक सिंचित/नमी युक्त जमीन या 7.5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है; (2) जिनके बच्चे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/आउटसोर्स/अनुबंध के तहत रोजगार में हैं; (3) जिनके बच्चे डॉक्टर, ठेकेदार, पेशेवर और स्वरोजगार वाले हैं; (4) जिनके पास बड़ा व्यापार उद्यम (तेल मिल, राइस मिल, पेट्रोल पंप, रिग के मालिक, दुकानदार आदि) हैं; (5) जिनके पास सरकारी पेंशन स्वतंत्रता आंदोलन की पेंशन है; (6) हल्के और/या भारी ऑटोमोबाइल (चार पहिया वाहन और बड़े वाहन) के मालिक; (7) कोई अन्य मापदंड जो जांच अधिकारी की नजर में जीवन शैली, परिवार की जीवन शैली, व्यापार और संपत्ति के आधार पर अयोग्य हो।

• निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक मापदंड के साथ जो मेल खाते हों और जो उल्लेखित आयु समूह में आते हों उन लोगों को इस पेंशन योजना में शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए: (1) प्राथमिक अवस्था और पिछड़े आदिवासी समूह; (2) जिस घर में कमाने वाला सशक्त सदस्य नहीं हो, उस परिवार की मुखिया महिलाएं; (3) घर में विकलांग सदस्य वाले परिवार; (4) विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं के लिए पेंशन को छोड़कर सभी पेंशनों के संबंध में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य (मुख्य रूप से महिला) पेंशन का हकदार होगा; (5) भूमिहीन खेत मजदूर, ग्रामीण कारीगरों/दस्तकारों (जैसे कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ई, आदि), मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, दैनिक आजीविका कमाने वाले लोग, सामान लाने-ले मजदूर, कुली, रिक्शा चालक, गाड़ी खींचने वाले, फल-फूल विक्रेता, कचरा बीनने वाले, मोची, बेसहारा व ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस श्रेणी में आने वाले अन्य लोग; (6) बेघर लोग, खासकर शहरी क्षेत्रों में अस्थायी व्यवस्था करके या झोपड़ी में रहने वाले परिवार; (7) परिवार की मुखिया विधवा हो या गंभीर बीमारी वाला व्यक्ति/विकलांग व्यक्ति/65 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति हो और रोजगार का कोई नियमित जरिया न हो या समुदाय से कोई सहायता नहीं मिलती हो और परिवार में कमाने वाला कोई सक्षम सदस्य नहीं हो।

इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस योजना का लाभ लेने लायक वंचित सबसे गरीब व्यक्ति - जैसे झोपड़ी या प्लास्टिक की छत वाली झोपड़ियों में रहने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले और जीवन जरूरी लायक से कम कमाने वाले गरीब व्यक्ति उन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं रह जाय।

(4) आंध्र प्रदेश	(5) दिल्ली	(6) राजस्थान	(7) गुजरात
• 65 साल और उससे अधिक • बीपीएल परिवार होना चाहिए • आजीविका का कोई साधन न हो और बेसहारा हो, जिसका मतलब है कि परिवार या रिश्तेदार का सहारा न हो • अन्य किसी भी पेंशन योजना में उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया हो • व्यक्ति को जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए	• आवेदक की उम्र 50 साल या उससे अधिक होनी चाहिए • आवेदक को आवेदन की तारीख से पहले कम से कम पांच • साल से दिल्ली या एनसीआर का निवासी होना चाहिए • परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • बैंक या पोस्ट ऑफिस में उसके नाम का ही (एकल संचालित) खाता होना चाहिए • उसे केन्द्र या राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम या कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए	• महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की उम्र 58 साल या उससे अधिक • पति-पत्नी के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए	**1. बेसहारा पेंशन** • 60 साल से अधिक उम्र • 21 वर्ष या उससे अधिक का पुत्र न हो • जिसके 45 साल या इससे अधिक विकलांग पुत्र हो जो 75 फीसदी या इससे अधिक विकलांग हो, वह इस योजना के लाभ के लिए पात्र है • उसे कम से कम 10 साल तक राज्य का निवासी होना चाहिए • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) 47,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों 68,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए • **400 रु.**
• **1,000 रु.**	• 60- 69 वर्ष के व्यक्ति के लिए **1,000 रु.** • 70 वर्ष और अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के लिए **1,500 रु.**	• 74 साल की उम्र तक **500 रु.** • 75 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए **750 रु.**	**2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (उम्र वंदना)** • बीपीएल स्कोर (0-16) • उम्र का प्रमाण • वोटर कार्ड की कॉपी 60 - 79 वर्षीय व्यक्ति के लिए, **400 रु.** • 80 या अधिक आयु के व्यक्ति के लिए **700 रु.** ■

राज्यवार विधवा पेंशन योजना का तुलनात्मक विवरण

	(1) गोवा	(2) पांडिचेरी	(3) तेलंगाना
पात्रता के मानदंड और आवश्यक दस्तावेज	• एकल महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और इनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या कानूनी आधार अलग रह रही महिलाएं और 50 साल से अधिक की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक प्रति व्यक्ति आय योजना के तहत वित्तीय सहायता की वार्षिक राशि से कम होनी चाहिए • सदस्य और उसके जीवन साथी की मृत्यु के मामले में जीवन साथी को मिलने वाली वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम दो बच्चों को उनके 21 साल पूरे होने तक दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे की सहायता की राशि 1,000 रु. रहेगी	• वार्षिक आय 75,000 रु. से कम और निवास का प्रमाण • 18 साल से अधिक की विधवाओं के पास अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए • त्यक्त महिला (जो लगातार सात साल से त्यक्त जीवन जी रही है) के पास विधायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का तत्संबंधी प्रमाण पत्र हलफनामा होना चाहिए कि वह महिला पिछले (लगातार) सात साल से त्यक्त जीवन जी रही है और हलफनामा • 21 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिला जिसने तदनुसार हलफनामा दिया हो • चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त उम्र के प्रमाण वाले 21 साल से अधिक वाले ट्रांसजेंडर	• 18 साल और उससे अधिक आयु का व्यक्ति • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (यदि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हो, तो स्थानीय जांच की जा सकती है। और इस जांच के बाद अगले तीन महीने में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा) • पुनर्विवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र 45 साल तक की उम्र वालों को प्रस्तुत करना चाहिए (दोबारा शादी नहीं करने पर ग्राम पंचायत से हर साल प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है कि दोबारा शादी नहीं की गई है)। • इस योजना में शामिल करने या नहीं करने के मानदंड वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसे हैं।
मिलने वाले लाभ (प्रति माह)	• **2,000 रु.**	• **1,500 रु.**	• **1,000 रु.**

(4) आंध्र प्रदेश	(5) दिल्ली	(6) राजस्थान	(7) गुजरात
• किसी भी आयु की विधवा • आवेदक बीपीएल परिवार से होना चाहिए • आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए • आवेदक को उस जिले का स्थानीय निवासी चाहिए	• 18 से 60 वर्ष की विधवा, तलाकशुदा, अलग हुई, परित्यक्ता या निराधार महिलाएं • आवेदक को आवेदन की तारीख से पहले कम से कम पांच साल से दिल्ली या एनसीआर का निवासी होना चाहिए • परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए • बैंक या पोस्ट ऑफिस में उसके नाम का ही (एकल संचालित) खाता होना चाहिए • उसे केन्द्र या राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम या कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता पहले से ही नहीं मिलनी चाहिए	• 18 से 75 वर्षीय विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा या एकल जीवन जीने वाली महिला तीन साल से अधिक समय से अपने पति से अलग हो गयी महिला। ग्रामीण क्षेत्रो में सरपंच और पटवारी द्वारा जबकि शहरी क्षेत्रों में पार्षदों द्वारा संयुक्त रिपोर्ट पेश जाएगी	• 18 से 64 साल की विधवा • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 47,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 68,000 रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए • बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र • 18-40 आयु वर्ग की महिलाओं को पेंशन की मंजूरी के दो साल के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
• **1,000 रु.**	**1500 रु.**	• 18-74 साल की उम्र तक, **500 रु.** • 75 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए **750 रु.**	• **750 रु.** (प्रत्येक बच्चे के लिए 100 रु. अगर लड़का हो तो 18 साल की उम्र तक और लड़की हो तो 21 साल की उम्र तक यह सहायता प्रदान की जाएगी)

■

केवल ज्ञान काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है,
इच्छाशक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इच्छाशक्ति को लागू करना आवश्यक है

शांता स्मारक पुनर्वास केंद्र (एसएमआरसी), भुवनेश्वर द्वारा 12 अगस्त, 2016 को आयोजित कार्यक्रम में उन्नति की कार्यक्रम समन्वयक, **दीपा सोनपाल** ने चौथा अशोक स्मृति व्याख्यान दिया था। इस अवसर पर सुश्री अनीता अग्निहोत्री, आईएएस, मुख्य सचिव, भारत सरकार, एमएसजेई; सुश्री मानसी निमभाई, आईएएस, निदेशक, उड़ीसा सरकार, एसएसईपीडी, श्री जर्सिस सिधवा, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, यूएसएआईडी, भारत; श्री अरूप दासगुप्ता, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री दीपक सऊजा, बिजनेस हैड, उड़ीसा सर्किल, वोडाफोन और डॉ. आशा हंस और सुश्री रीना मोहंती एसएमआरसी आदि अतिथियों ने भाग लिया था। इस व्याख्यान का यहाँ हिन्दी अनुवाद दिया गया है।

आदरणीय बुजुर्गों, अधिकारियों, साथी बहनों और भाइयों, 'चौथा अशोक हंस स्मृति व्याख्यान' देना मेरे लिए गर्व की बात है। इस शुभ अवसर हम सब अशोकजी द्वारा संजोए सपनों का स्वागत कर रहे हैं, वह सपना जो शांता स्मारक पुनर्वास केंद्र (एसएमआरसी) द्वारा की जा रही गतिविधियों से साकार हो रहा है - मुझे यह स्मृति व्याख्यान देने और आप सबसे मिलने का अमूल्य अवसर देने के लिए मैं आशाजी और रीनाजी के प्रति आभार प्रकट करती हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में विकलांग महिलाओं को सामाजिक लिंगभेद (जेंडर) और विकलांगता जैसी दोहरी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसमें जाति, वर्ग, वंश, धर्म, स्थलातंरण की स्थिति और भौगोलिक अंतर इस असमानता में वृद्धि करता है। दुनिया की कुल आबादी में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 15 प्रतिशत है। इनमें से 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति विकासशील देशों में रहते हैं और महिलाओं की कुल जनसंख्या में से 19.2 प्रतिशत महिलाएं विकलांग हैं।

भारत में इस अनुमान के बारे में स्थिति साफ नहीं है। हमारे पास सही संख्या का विवरण नहीं होने से विकलांग व्यक्तियों के बारे में ज्यादातर जानकारी का अभाव रहता है। विकलांगता दरों में प्रचलित विविधता के लिए सामाजिक संकोच से लेकर इन व्यक्तियों की गणना से संबंधित तकनीकी सहित कई कारण जिम्मेदार हैं जैसे, विकलांगता की परिभाषा, डेटा संग्रह के लिए इस्तेमाल विधि और बहिष्कार की राजनीति आदि। विकलांग व्यक्तियों को आज भी देश का नागरिक नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और राजनीतिक दल भी उन्हें वोट बैंक नहीं मानते। 2001 की तरह 2011 की जनगणना में यह दावा किया गया था कि

देश की कुल आबादी में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2 प्रतिशत ही है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की आबादी के 45.5 प्रतिशत व्यक्ति पढ़-लिख नहीं सकते और उनमें भी महिलाओं में इस निरक्षरता का अनुपात बहुत अधिक है। उच्च शिक्षा के आंकड़े बहुत कम हैं। लगभग नौ प्रतिशत पुरुष और सात प्रतिशत महिलाएं स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करती हैं। इस साक्षरता दर और कौशल का रोजगार के साथ सीधा संबंध है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, उच्चतम योग्यता वाले लोगों को ही लाभदायी रोजगार के अवसर मिलते हैं। विकलांग व्यक्तियों की केवल बुनियादी आवश्यकताओं को ही पूरा कर दिया जाए तो भी वे सामूहिक तौर पर खुद के लिए और साथ ही दूसरों के लिए काम करने में सक्षम हो सकते हैं।

लिंगभेद (जेंडर) जैसी विकलांगता समाज द्वारा पैदा की जाती है और यह वह सांस्कृतिक बुराई है जो 'खराबी युक्त या पूर्ण होने की' भावना से पैदा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक, संगठनात्मक, और अवरोधयुक्त वातावरण विकलांगता की स्थिति को बढ़ाते हैं। विकलांग महिलाओं को यौनाकर्षक नहीं माना जाता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि सामान्य महिलाओं की तुलना में विकलांग महिलाओं की शारीरिक, यौनिक और संवेदनात्मक हिंसा का शिकार बनने की संभावना चार गुना अधिक होती है। ज्यादातर करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही विकलांग व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे भी ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं। क्योंकि, कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी चरण में विकलांगता का शिकार बन सकता है।

श्रेष्ठतम तकनीकी क्रांति की गुलांचे भरने वाला आधुनिक युग सभी तरह के उपयोगकर्ताओं को विकल्प प्रदान करता है, लेकिन फिर भी क्यों एक बड़े वर्ग को मानव के रूप में मिलने वाले अधिकारों, अवसरों से वंचित रखा जाता है? उनके साथ क्यों भेदभाव किया जाता है और उन पर क्यों अन्याय किया जाता है? उसे क्यों दरकिनार किया जाता है? अनेक अंतरराष्ट्रीय संधियों में मानव अधिकारों की वकालत की गई है और विशेष रूप से समानता व भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है।

इस संबंध में मैं अंतरराष्ट्रीय विकलांगता समझौते (यूएनसीआरपीडी-2007) का उल्लेख करना चाहती हूं। हेलेन केलर (जो खुद देख और सुन नहीं सकते थे) अमेरिकी थे और उन्होंने 1968 तक विकलांगता के क्षेत्र में काम किया था। सदियों पहले कही गई बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि, 'अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक साथ मिलकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं'। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीआरपीडी इस तथ्य का साक्ष्य है। अब सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 एजेंडा में भी लक्ष्यों के चयन में विकलांगता को शामिल करने को मान्यता दी गई है। 17 ध्येयों के 169 लक्ष्यों में से पांच लक्ष्यों में विकलांगता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य लक्ष्यों में 'साझा विकास' के नीति सूत्र के तहत लक्ष्यों को क्रियान्वयन की सर्वमान्यता (एकरूपता) के आधार पर विकलांगता को शामिल किया गया है। एसडीजी के पांच मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

1) समावेशी शिक्षा के लिए माहौल बनाकर विकलांगों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके समान और प्राप्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करना
2) सभी समावेशी आर्थिक विकास में तेजी लाना, विकलांगों को पूर्ण रूप से नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाना
3) विकलांगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश पर जोर देना

4) जल संसाधनों और शहरों को प्राप्य बनाना, परिवहन व्यवस्था को टिकाऊ, प्राप्य और सार्वभौमिक बनाना, सुरक्षित, समावेशी और सबके लिए हरित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध करवाना
5) सूचना संग्रह के महत्व पर जोर देना और एसडीजी की निगरानी करना, सामाजिक लिंगभेद (जेंडर) और विकलांगता की वर्गीकृत सूचना संग्रह पर जोर देना

सीआरपीडी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और विकलांगता के सार्वभौमिक समावेश के लिए उसे मुख्यधारा में शामिल करने की मार्गदर्शिका को दुनिया भर में स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अंतरराष्ट्रीय विकलांगता समझौते (सीआरपीडी-2007) का अनुच्छेद 6 विशेष रूप से कहता है कि विकलांग महिलाएं और लड़कियां सभी प्रकार के भेदभाव का शिकार होती हैं और उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। कुछ समय पहले, हमने आठ भारतीय विकलांग संगठनों के साथ काम किया था। इस कामकाज का मुख्य उद्देश्य उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना, जिनमें विकलांग व्यक्ति जीवन यापन करते हैं और विकलांग व्यक्तियों के संगठनों का आंकलन करना था। भारत में विकलांग व्यक्तियों के संघ अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं और वे भी विकलांग व्यक्तियों को संगठित करने और लामबंद करने की चुनौतियों सामना कर रहे हैं। इस काम में सामने आए कुछ तथ्य इस प्रकार हैं - विकलांग व्यक्तियों को बहुत ज्यादा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उन्हें सीमित जानकारी उपलब्ध हो पाती है, विभिन्न परिस्थितियों की बाधाओं के कारण उनकी गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विकलांग व्यक्ति अलग-थलग स्थानों में रहते हैं, सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है, भिन्न-भिन्न तरह की विकलांगता के परिणाम स्वरूप, विशेष रूप से विकलांग महिलाएं अपना मूल्यांकन बहुत कम आंकती हैं। विकलांग व्यक्तियों के संगठनों के साथ गहन विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य स्वीकार किया गया था कि उनके संगठनों में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। विकलांग महिलाओं का सशक्तिकरण करना आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों और भिन्न-भिन्न विकलांगता वाली महिलाओं की जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं पर ध्यान देने के लिए इन महिलाओं के जीवन जीने के अनुभवों को संकलित करने की आवश्यकता है।

विकलांग व्यक्ति के रूप में मेरा इस विचार में पूर्ण विश्वास है और इसकी प्रखर पक्षधर हूं कि - 'हम सबकी भागीदारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है।' मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमें अन्य लोगों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार, साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमें भी अपने अधिकारों के लिए दृढ़ इच्छा रखनी चाहिए।

पाउलो फ्राइर के अनुसार, वंचित समूह अपने अधिकारों का दावा तभी कर सकते हैं, जब वे सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करें या अपनी स्थिति का आंकलन करें। विकलांग व्यक्तियों को संवाद स्थापित करके उनकी सामाजिक वास्तविकता का विश्लेषण करने की जरूरत है। फिर प्रतिक्रिया और गतिविधि के द्वारा अपनी स्थिति को बदलने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की जरूरत है। - प्रतिभाव-निष्पादन-प्रतिभाव और उसके अनुसार यह सतत प्रक्रिया अमल कहलाती है।

बाद में, हमें सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से ये सवाल को पूछने की जरूरत है - हम क्यों विकलांग के रूप में जाने जाते हैं? कौनसे कारक हमें गौरवपूर्ण जीवन जीने से रोकते हैं? इन बाधाओं को कैसे दूर या कम किया जा सकता है? विकलांग व्यक्तियों को तिरस्कृत करने वाले विशेष तौर पर कर्म के सिद्धांत के साथ जुड़ी विभिन्न बाधाओं को दूर कैसे किया जाए? इस स्थिति को बदलने के लिए कौन नेतृत्व प्रदान करेगा? विकलांग व्यक्तियों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए? हमारे इस संघर्ष में हमारी कौन मदद करेगा? हम अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? हम गौरवपूर्ण जीवन कैसे जी पाएंगे? इन सवालों के जवाब प्राप्त करना जरूरी है। इसके साथ ही परिस्थिति को बदलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि सभी विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिल सके। अगली चुनौती यह है कि शारीरिक अखंडता की सीमा से हम कैसे बाहर निकलें? सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर तय 'आदर्श व्यक्ति' के विचारों से बाहर निकलकर हम अपने भीतर कैसे देख सकते हैं और हम अपने भीतर की सुंदरता कैसे बाहर ला सकते हैं। अब यह समझने का समय आ गया है कि जब दुनिया में अशांति की स्थिति फैल रही है तब हम सबकी आत्मा एक ही है और हम सभी एक स्रोत के ही हिस्से हैं। पुरानी कहावत जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो, अगर हम सभी एक ही स्रोत के हिस्से हैं, तो फिर हम दूसरे व्यक्ति के लिए नापसंदगी और घृणा कैसे व्यक्त या महसूस कर सकते हैं? ईसा मसीह ने कहा है कि, 'दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे करें।'

इस अवसर पर, हम सब एक साथ मिलकर विविधता का जश्न मनाएं और गंभीरता, प्रतिबद्धता, पारस्परिक सम्मान, ईमानदारी, सहानुभूति, सहिष्णुता और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करके ऐसी जीवन शैली के साथ नई दुनिया के निर्माण की कामना करें जिसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो और गौरवप्रद जीवन जीने का अवसर मिले। हम जहां हों, वहां हममें से हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान कर सकता है। हेलेन केलर ने कहा था कि, 'दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर जिन चीजों को देख या छू नहीं सकते। उन्हें दिल से महसूस करना चाहिए।'

सभी के लिए सम्मान और समानता प्राप्त करने की कुंजी मानव जाति को मुक्त करने की स्वीकृति और निरंतर प्रयास करना है। इन परिस्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करने का लक्ष्य होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा था, 'सभी शक्तियां आपके भीतर हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास रखो। खुद को कमजोर नहीं मानें .... उठो और आपके भीतर के दिव्य तत्व को प्रकट करो। जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करने तक व्यस्त रहो।'

शांता स्मारक पुनर्वास केंद्र (एसएमआरसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, भारत में विकलांग महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली गुजरात की सुश्री नीता पंचाल को 'बेस्ट एक्टिविस्ट' (श्रेष्ठ कार्यकरकर्ता)का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

'द मास्टर हेडमास्टर'

- गौतम शर्मा

'द मास्टर हैड मास्टर' का यह लेख सिविल सोसायटी, वो.13 नं. 11-12, सितंबर-अक्टूबर 2016 के अंक में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, जिसका हिन्दी अनुवाद यहां प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान के बूल गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गूगल के लिए भी यह गांव उतना ही दूर-दराज वाला है। गांव के 1,200 निवासी रेगिस्तान के बीच में दूरदराज के जीवन से इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि उन्होंने इस गांव में किसी अजनबी व्यक्ति के आने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इतनी दूर बसे होने के बाद भी एक अभिनव पहल के कारण इस गांव को भारत में एक उज्ज्वल स्थान मिला है। यह पहल है - सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल।

हाल ही में इस स्कूल को राजस्थान के बाड़मेर जिले की अन्य स्कूलों में अपने समकक्षों में सबसे अच्छा स्कूल घोषित किया गया है। स्कूल को इसका प्रमाण पत्र दिया गया है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले छह वर्षों में ही स्कूल की कायापलट हुई है। स्कूल की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि गांव के बच्चों को अब 20 किमी दूर निजी स्कूल नहीं जाना पड़ता है। बल्कि, अन्य गांवों के बच्चे भी अब बूल की स्कूल में पढ़ने आते हैं।

2010 में गौतम शर्मा ने प्रधानाध्यापक के रूप में स्कूल में अध्यापन कार्य संभाला, तब से यह परिवर्तन फल-फूल रहा है। 48 वर्षीय शर्मा को सरकारी स्कूल की प्रणाली के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। इसके अलावा, वे पहले भी अन्यत्र प्रधानाध्यापक के रूप में सफलता पूर्वक काम कर चुके थे। सर्व शिक्षा अभियान में वे समन्वयक का काम कर चुके थे। बूल गांव के स्कूल की सफलता गौतम शर्मा के भागीरथ प्रयासों का परिणाम है।

शर्मा के व्यापक अनुभव और बूल गांव की स्थिति के बीच काफी अंतर था। लेकिन उन्होंने समय गंवाए बिना गांव के नेताओं के साथ बात की और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का शुभारंभ किया।

शर्मा के अनुसार, 'मैंने उन्हें (ग्रामीणों को) बताया कि हम साथ मिलकर स्कूल के लिए काफी काम करेंगे। मैंने कक्षाओं के लिए एक नई इमारत की तात्कालिक जरूरत के बारे में बताया। कक्षा के नाम पर सिर्फ दो छोटे कमरे थे, इसलिए कक्षाओं के लिए तीन और कमरों और प्रधानाध्यापक और स्टाफ के लिए एक और कमरे की जरूरत थी। मैंने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठक आयोजित की और सर्व शिक्षा अभियान के समक्ष स्कूल के लिए नए भवन का प्रस्ताव रखा। यह कार्य पूरा होने में एक साल लग गया। स्कूल के

लिए मेज-कुर्सियों की जरूरत थी, जिसके लिए हमने पंचायत से संपर्क किया।'

बाह्य स्वरूप का महत्व

उन्होंने आगे कहा कि, 'बुनियादी ढांचा काफी महत्वपूर्ण है और मैं उसे बहुत महत्व देता हूं। स्कूल सुंदर दिखती हो और उसमें सभी सुविधाएं हो तो बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं, और गंभीरता से पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा, शिक्षक भी शिक्षण को गंभीरता से लेते हैं।'

उन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए अलग से बाथरूम के साथ पानी की व्यवस्था की है। लड़कियों के बाथरूम के बाहर दर्पण की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के लिए भी अलग बाथरूम है। ट्यूबवैल से ओवरहैड टैंक के माध्यम से पानी मिलते रहने की व्यवस्था की है। 'इससे पहले अन्य स्थानों से पानी लाकर टांका भरना पड़ता था। मैंने समिति से कहा कि स्कूल के पास अपना खुद स्वयं का पानी का स्रोत होना चाहिए। अपने ट्यूबवैल के लिए नल विभाग के समक्ष प्रस्ताव पेश करने को कहा गया। सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और ट्यूबवैल की व्यवस्था हो गई।

शर्मा ने बताया कि पाइप और ओवरहैड टैंक के लिए हमने एक लाख रुपए खर्च किए। अब स्कूल में पीने के लिए और बाथरूम के लिए पानी उपलब्ध है और पानी की कोई समस्या नहीं है।' रेगिस्तानी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूल का परिसर काफी हराभरा है। आसपास के सूखे क्षेत्र में स्कूल के पेड़ और छोटे पौधे आदि ढांढस बंधाते हैं।

स्कूल की दीवार पहले कम ऊंची थी। शर्मा ने दीवार की ऊंचाई तीन फीट से आठ फीट कर दी, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और उनके अध्ययन में परेशानी न हो। वहाँ खेल के लिए पर्याप्त जगह है, फिर भी पत्थर का चबूतरा बनाया गया है, जिसका उपयोग रोज सुबह प्रार्थना और योग के लिए किया जाता है। शर्मा इसे मंच या स्टेज कहते हैं।

चित्र, संदेश, नारे

कक्षाओं के अंदर और बाहर की दीवारों पर रंग-बिरंगे चित्र, आलेखन, चित्रकारी और प्रेरणादायक संदेश-नारे लिखे और बनाए गए हैं। इनसे बच्चों में वजन, माप, अंग्रेजी वर्णमाला, पारिवारिक मूल्यों, स्वच्छता आवश्यकताओं के महत्व, हाथ धोने, नक्शे और राष्ट्रीय गान के महत्व के बारे में समझ विकसित होती है।

शर्मा ने बताया कि, 'ये सभी काम हम सरकार और पंचायत से प्राप्त धन राशि और जन सहयोग की धन राशि से कर रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए कभी भी पैसे की कमी आड़े नहीं आती है। स्कूल की व्यवस्था से संबंधित कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं। इसके बावजूद मेरा मानना है कि यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है।

शर्मा शिक्षकों से पढ़ाने के उनके प्लान के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अलावा, वे महीने में एक बार समीक्षा बैठक का आयोजन करते हैं। शर्मा के अनुसार, 'जब मैं यहाँ आया था, उस समय स्कूल में 103 छात्र थे। अब यहां 159 छात्र पढ़ते हैं। 20 किमी दूर स्थित निजी स्कूल में जाने वाले छात्रों ने स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर यहां प्रवेश लिया है। मैंने गांव के परिवारों से बात की थी और उन्हें राजी किया था कि बच्चों को इतनी दूर भेजने की जरूरत नहीं है। अब सभी स्थानीय बच्चे इस स्कूल में आते हैं।' स्कूल में

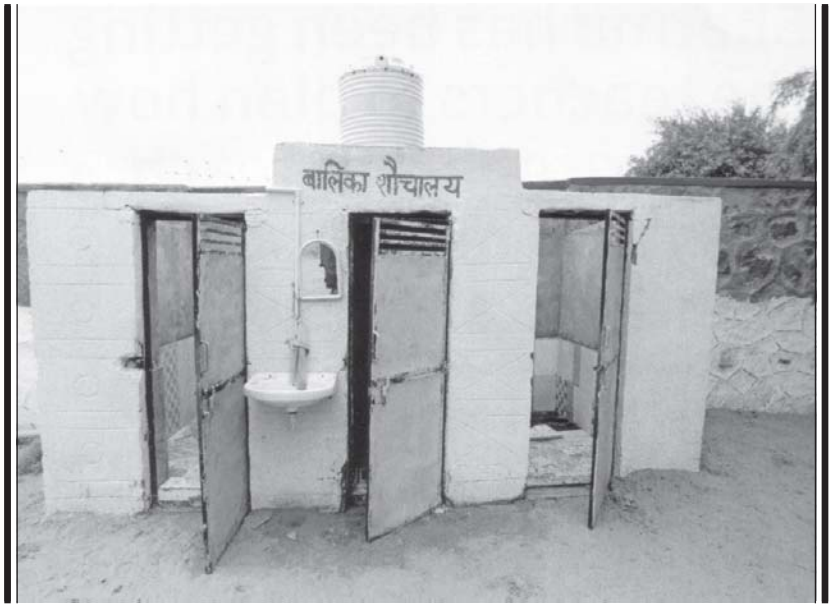

लड़कियों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इसमें वृद्धि धीरे-धीरे हो रही है। लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों की सुरक्षा - इन दो मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

नव निर्मित कक्षाओं के साथ काफी दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। जब इन कक्षाओं का निर्माण शुरू किया गया, तब हरिद्वार से पुरोहितों को बुलाया गया था और तीन दिन का धार्मिक समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में सभी ग्रामीणों ने शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने की शपथ ली थी। जैसी उम्मीद थी, इस वचन का पालन तो नहीं किया गया, लेकिन शर्मा ने स्कूल की पवित्रता बरकरार रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं। स्कूल की दीवारों पर प्रेरणादायक संदेश लिखकर, उन्होंने पारिवारिक रिश्तों के महत्व पर जोर दिया। हालांकि, हर रात पुत्र वधू द्वारा ससुराल वालों के पांव दबाने सहित कुछ संदेशों से पितृ सत्तात्मक मानसिकता का पता चलता है। परंतु राजस्थान में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था प्रचलित है और शर्मा भी इसी रूढ़िवादी समाज का हिस्सा है। हो सकता है कि इस रूढ़िवाद के कारण ही उन्हें शिक्षकों, छात्रों और समुदाय के अग्रणी की भूमिका निभाने में सफलता मिली हो। अन्य व्यक्तियों पर जिम्मेदारी का बोझ डाले बिना उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है।

व्यवस्थाएं और सेवाएं

नियमित व्यवस्था पर भी वे जोर देते हैं। सुबह की सभा महत्वपूर्ण होती है। बच्चे प्रार्थना करते हैं। वे समाचार पत्र में से जोर-जोर से पढ़कर समाचार सुनाते हैं। बच्चों की संसद है और इसके प्रतिनिधि भी हैं। ये प्रतिनिधि स्कूल की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जब शर्मा इस स्कूल से जुड़े थे, तब उन्होंने छात्रों की सीखने की क्षमता जानने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर छात्रों को ए, बी और सी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। सी श्रेणी के छात्र पढ़ने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे थे, अतः उन छात्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

स्कूल में हर सप्ताह एक घंटे कंप्यूटर पर ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षक छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यह ई-लर्निंग अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के लिए है। स्कूल में जिन कठिन अवधारणाओं या समस्याओं को शिक्षक नहीं सिखा पा रहे हों, उन अवधारणाओं या समस्याओं की व्याख्या करने के लिए ई-लर्निंग की मदद ली जाती है।

शर्मा शिक्षकों से साल भर में पाठ्यक्रम पढ़ाने की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, कितना पाठ्यक्रम पूरा हुआ, शिक्षकों की समस्याओं और छात्रों की प्रगति, आदि की समीक्षा करने के लिए हर महीने एक बैठक का आयोजन किया जाता है। एसएमसी के अध्यक्ष राम सिंह का कहना है कि शर्मा बहुत मेहनती हैं और उनके अथक प्रयासों के कारण ही स्कूल में आमूल-चूल परिवर्तन हो पाया है।

राम सिंह का कहना है, 'हमें याद नहीं है कि वे कभी छुट्टी पर भी गए थे। वे लगातार लगन से काम कर रहे हैं और हम किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं। वे सही मायने में सक्षम प्रधानाध्यापक हैं।' हालांकि, सरकारी स्कूल में आमूल-चूल परिवर्तन लाना कोई आसान काम नहीं है। स्कूल में 159 छात्रों के लिए शर्मा सहित केवल छह शिक्षक हैं। इनमें से तीन शिक्षकों की बदली हो गयी है, फिर भी अभी तक स्कूल में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है।

स्कूल की सफलता के पीछे व्यवस्था करने वाले शर्मा के नेतृत्व और उनकी निजी इच्छा शक्ति अधिक जिम्मेदार है। क्या गौतम शर्मा की ये प्रशंसनीय उपलब्धियां उनके बाद भी रह पाएंगी यह एक बड़ा सवाल है।

गतिविधियाँ

अंतरराष्ट्रीय चक्षु बाधित शिक्षा परिषद (आईसीईवीआई) द्वारा लीडरशीप पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय चक्षु बाधित शिक्षा परिषद (आईसीईवीआई) दुनिया भर के अंधे बच्चों (चक्षु बाधित) और युवाओं की शिक्षा के लिए कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन हर चार साल में दुनिया के विभिन्न भागों में अपनी महासभा का आयोजन करता है।

हर चार साल में आयोजित होने वाली इस सभा में आईसीईवीआई पुरस्कार नामांकित समिति द्वारा चुने गए चार व्यक्तियों को 'लीडरशिप अवार्ड' प्रदान किया जाता है। यह चयन समिति अंधे बच्चों और युवाओं के लिए अभिनव पहल करने वालों और आईसीईवीआई को स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का चयन करती है। इसलिए हर चार साल में दुनिया भर से चार व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल आईसीईवीआई और विश्व अंध संघ के संयुक्त तत्वाधान में 24, अगस्त, 2016 ओर्लेंडो, फ्लोरिडा स्थित होटल रोजेन सेन्टुर में आयोजित संयुक्त बैठक में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को लॉर्ड कॉलिन लो, डल्स्टन, अध्यक्ष, आईसीईवीआई द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

1. स्वीडन के श्री हैरी स्वेन्सन, पिछले 45 वर्षों से अंधे व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने आइसीईवीआई के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था।
2. भारत की श्रीमती नंदिनी रावल ने अंधे बच्चों के लिए काम किया है और इसके साथ ही वे 1997 से 2006 तक आईसीईवीआई की सचिव रही थी। वे 2006 से आईसीईवीआई की कोषाध्यक्ष हैं।
3. कंबोडिया की श्रीमती निआंग फल्ला एक शिक्षक हैं और अंधे बच्चों के कार्यक्रमों की प्रशासक भी हैं।
4. फिलीस्तीन की श्रीमती रीमा स्वयं अंधी हैं और उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में अंधे बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए हैं।

सिर पर मैला ढ़ोने के खिलाफ संघर्षरत बेजवाडा विल्सन को 'मैगसेसे पुरस्कार'

सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का अंत करने की दिशा में काम करने वाले बेजवाडा विल्सन को मानव के गौरवप्रद जीवन के अधिकारों की पैरवी करने के लिए प्रतिष्ठित 'रेमन मैगसेसे पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 27.07.16 को की गई थी।

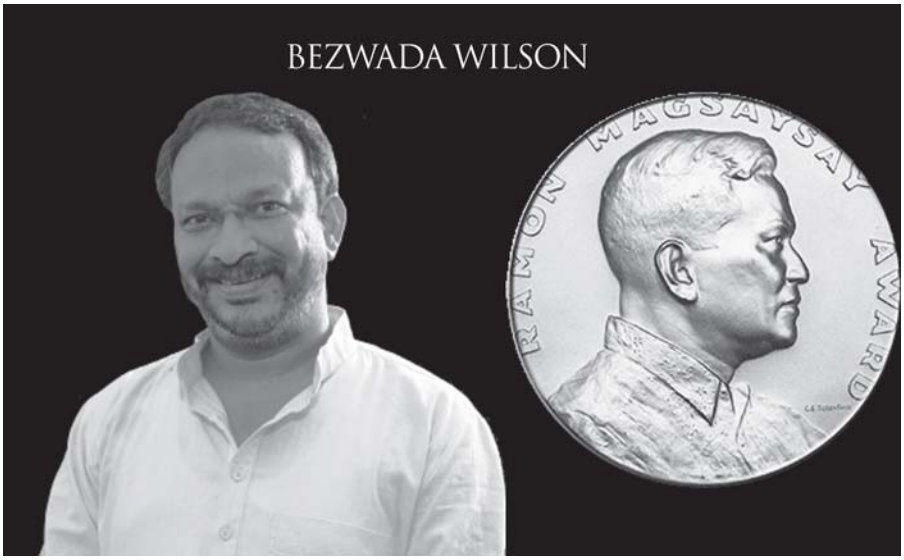

कर्नाटक के कोलार जिले में जन्मे बेजवाडा ने अपने परिवार और अन्य दलित भाइयों को शहर के सूखे शौचालयों की सफाई करते देखा था। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इस समुदाय से संबंधित होने की वजह से एक बच्चे और एक किशोर के रूप में उन्हें घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। वे चाहते थे कि उनका समुदाय यह अमानवीय कृत्य बंद करे, लेकिन कई दलित इसे आजीविका का स्रोत मानते थे इसलिए वे इसे बंद करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार, बेजवाडा ने बाहर की दुनिया को सिर पर मैला उठाने वाले की संतान के रूप में सहे गए अपमान के बारे में बताया। उनके इन अनुभवों से कई दलित भाइयों की आंखें खुल गई।

1990 में, बेजवाडा ने अम्बेडकर के बारे में अध्ययन किया और समाज की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। बेजवाडा द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड को कहे अनुसार, 'जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ था। मुझे पता चला कि हम सिर पर मैला इसलिए नहीं उठाते थे कि हम अशिक्षित और गरीब थे, बल्कि समाज की रचना जिस तरह से हुई थी, उस वजह से हम यह काम करते थे। 'रेमन मैगसेसे अवार्ड एशिया में बुनियादी बदलाव लाने वाले नेतृत्व और जोश का सम्मान है और मानव विकास में बाधक समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

'भारत में सिर पर मैला उठाने की प्रथा मानव संस्कृति के लिए एक कलंक है। वर्ण प्रथा में असमानता के आधार पर दलितों - भारत के अछूतों को सिर पर मैला उठाने की प्रथा में शुष्क शौचालय में से मल को हाथ से उठाकर उस पात्र को सिर पर रखकर निपटान स्थल पर ले जाने का सौंपा गया काम है। विरासत के रूप में चलते आ रहे इस कार्य के कारण भारत भर में 1,80,000 दलित परिवार 7,90,000 निजी और सार्वजनिक शुष्क शौचालयों की सफाई करते हैं। इनमें से 98 प्रतिशत सफाई करने वाली महिलाएं और लड़कियां हैं, जिन्हें काफी कम मजदूरी मिलती है। संविधान और अन्य कानून द्वारा सूखे शौचालयों और सफाई कर्मचारियों से सिर पर मैला उठवाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद इन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार ही बड़े पैमाने पर स्वयं इस कानून को तोड़ रही है।

बेजवाडा विल्सन का जन्म कर्नाटक राज्य में कोलार गोल्ड फील्ड शहर में दलित परिवार में हुआ था। उनके परिवार द्वारा पीढ़ियों से सिर पर मैला उठाने का काम करने के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेजवाडा को इस काम से दूर रखा गया था। यह काम नहीं करने वाले वे अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे। स्कूल में उनके साथ बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा, परिवार के कामकाज से पूरी तरह जानकार होने के कारण उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन आगे जाकर इस आग को उन्होंने सिर पर मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने की लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों की मानसिकता बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि दलित होना उनकी नियति नहीं है, बल्कि समाज द्वारा तय व्यवस्था के द्वारा उन पर जबरदस्ती लादा गया बोझ है। किसी भी आदमी को इतना निकृष्ट काम करने के लिए ममजबूर नहीं करना चाहिए। 1986 में, उन्होंने शहर के अधिकारियों को शुष्क शौचालयों के बारे में शिकायत की। उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं देने पर उन्होंने प्रधानमंत्री को शिकायत भेज दी और कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दे दी। परिणाम स्वरूप, उनके शहर के शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदल दिया गया

और सिर पर मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को दूसरे अन्य काम सौंपे गये।

बेजवाडा इस संघर्ष को अन्य राज्यों में भी ले गए। दलित कार्यकर्ताओं के साथ काम करके तथा स्वयंसेवकों की को शामिल करके उन्होंने यह काम किया, जिसने सिर पर मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए जन आंदोलन - सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) का आकार लिया। एसकेए आंदोलन 1993 में शुरू हुआ था और बेजवाडा उसके राष्ट्रीय संयोजक बने। इस बीच उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की और देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, रेलवे विभाग, रक्षा मंत्रालय, न्याय तंत्र और शिक्षा विभाग को शुष्क शौचालय पर प्रतिबंध लगाने और सिर पर मैला उठाने के काम को सफाई कर्मचारियों को सौंपने पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम, 1993 को तोड़ने का आरोप लगाया।

सफाई कामकाज, जाति व्यवस्था और 1993 के निषेध अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए के लिए एसकेए ने सक्रिय रूप से जिला स्तरीय सभाएं की। साथ ही उन्होंने इस आंदोलन के लिए स्थानीय नेताओं और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया। 2004-2005 में, एसकेए ने आंध्र प्रदेश में सामूहिक आधार पर शौचालयों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। महिला सफाई कर्मचारियों को कामकाज के दौरान हिंसा का सामना करने का अभियान में पर्दाफाश किया गया; और शुष्क शौचालय को तोड़ने के लिए व सफाई कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार का प्रावधान करने की मांग करने के लिए अधिकारियों से मुलाकात की। 2010 में सिर पर मैला उठाने की प्रथा उन्मूलन करने के लिए, एसकेए ने देशव्यापी मार्च किया। 2015 में उन्होंने सिर पर मैला उठाने की प्रथा के विरुद्ध जनता को जागरूक करने के लिए 30 राज्यों में 125 दिन की बस यात्रा आयोजित की, तबसे इस आंदोलन ने काफी प्रगति की है। 2013 में एसकेए ने सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने के प्रावधान के साथ नए कानून के लिए सफलता पूर्वक अभियान (पैरवी) चलाया था। इसके साथ ही सिर पर मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुति की गयी और सफाई कर्मचारियों की बेटियों को अधिक योग्य कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान में एसकेए नए व्यवसायों में जुड़ने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नया कानून तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है।

स्रोतः http://www.thenewsminute.com/article/bezwada-wilson-gets-magsaysay-award-fight-against-manual-scavenging-and-reclaiming-dalit

पृष्ठ 3 का शेष

पर्चियां नहीं लिख सकेंगे। किए जाने वाले कार्यों की सूची, बजट और भुगतान किए जाने वाले कुल भत्ते की जानकारी से निर्माण कार्य या संरचना की उपयोगिता और हकदारी की पुष्टि हो सकेगी। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और उसकी अध्यक्षता के तहत विविध समितियों - जैसे रोगी कल्याण समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समिति या संजीवनी समिति, स्कूल प्रबंधन समिति को प्राप्त और इस्तेमाल हुए धन के विवरण की सूचना से प्रशासन तंत्र और स्थानीय स्तर की व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।

अनुभव दर्शाते हैं कि कई आरटीआई आवेदन कार्यकर्ताओं की जान को खतरा हुआ है और पिछले एक दशक में कई कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आरटीआई आवेदन करने से भ्रष्टाचार में कमी हुई है या नहीं, लेकिन यह सही है कि आरटीआई एक सक्षम हथियार है, जिसका लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में, 'सूचना का मजबूत लोकतांत्रिक अधिकार गरीबी उन्मूलन करने में और परिवर्तन लाने के लिए हमें इतना बड़ा अवसर प्रदान करता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में हमें और आपको इस परिवर्तन को जरूरतमंद लोगों के लिए हकीकत में बदलना होगा। सूचना और संभावित ज्ञान के उपयोग से गरीबी की स्थिति को खत्म किया जा सकता है।'

श्रद्धांजलि

महाश्वेता देवी - न्याय के लिए जीवन समर्पित करने वाली विभूति

महाश्वेता देवी (1926-2016)

महाश्वेता देवी पर अपडेट लिखते समय मेरे हाथ नहीं चल रहे। वे 'हमेशा के लिए जीना चाहती थी। कई मौकों पर हम मृत्यु के बारे में बातें करते थे और हर वार्तालाप के समय वे जोरदार ढंग से कहती थी, 'मैं हमेशा के लिए जीना चाहती हूं।' पूरी दृढ़ता के साथ कहने के बावजूद उनके इन शब्दों में शाश्वत रहने वाली अदम्य लालसा का भाव नहीं टपकता था।

अपनी साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन वे खुद करती थी। वे कभी भी दूसरे व्यक्तियों से अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहती थी। इसके विपरीत, कोई उनके लेखन की प्रशंसा करता तो उन्हें वह अच्छा नहीं लगता था। अगर प्रशंसा सुननी ही पड़े, तो वे एक शब्द भी नहीं बोलती और वे 'वह मैं नहीं' के भाव के साथ मुस्कराते हुए प्रशंसा करने वाले की तरफ देखती रहती। वे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जीना चाहती थी। अन्याय की प्रत्येक घटना उन्हें क्रोधित कर देती थी। राजनीति का संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी, वे किसी प्रचलित राजनीतिक दर्शन या आंदोलन में विश्वास नहीं करती थी।

महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी, 1926 को हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रचलित जोश की गवाह बनी थी। शांति निकेतन में अध्ययन के दौरान उन्होंने गुरुदेव को देखा था और शांति निकेतन की सांस्कृतिक विरासत से उनका परिचय हुआ था। उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा वाले बिजोन भट्टाचार्य से शादी की थी। भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) और साम्यवाद की संपूर्ण रेंज से वे अच्छी तरह से वाकिफ थी। युवावस्था में महाश्वेता देवी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान मणिपुर के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रही, लेकिन इनमें से किसी भी आंदोलन और विचारधारा ने उनके सिद्धांतों और विचारों पर नियंत्रण नहीं किया। वे स्वयं तय करती थी कि किस स्थिति में कौनसा कदम उठाना है और न्याय का विश्लेषण भी वे खुद करती थी। उनके अधिकांश विश्लेषण वंचितों के प्रति अगाध सहानुभूति से प्रेरित रहते थे।

संघर्ष के समय में भी उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएं कायम रखी थी जैसे उनका अद्वितीय हास्यपूर्ण व्यवहार, वे परम शान्ति और विनम्रता से अपनी बात इस तरह कहती थी कि व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती थी।

महाश्वेता देवी को गुस्सा जल्दी आता था। शांत बातचीत चल रही हो, तब भी यह नहीं कहा जा सकता था कि वे कब गुस्सा हो जाएंगी। इस बातचीत के दौरान, वे जिस व्यक्ति को पहले नहीं मिली, उसे भी कड़वा सत्य सुनाने से पहरेज नहीं करती थी। खुर्शीद के गीतों के प्रति उन्हें काफी लगाव था। कोई कह नहीं सकता था कि वे कब 'मेरे बालपन के साथी, भूल न जाना...' गुनगुनाना शुरू कर दें। ग्रामीण किशोरियों जैसी सादगी उनमें हमेशा बरकरार रहती थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि बीसवीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली लेखकों की पंक्ति में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी प्रसिद्धि भारत के बाहर कई देशों में फैल गयी थी। गायरी चक्रवर्ती स्पिवके ने उनकी कहानियों का अनुवाद किया, जिसके बाद महाश्वेता देवी की लोकप्रियता अधिक दृढ़ता से

स्थापित हो गई। मुझे ज्ञात नहीं है कि एक टैगोर (और महाश्वेता देवी) के अपवाद को छोड़कर, किसी अन्य भारतीय लेखक का पूरा साहित्यिक काम, इतालवी, जर्मन, फ्रेंच, जैसी महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ हो। उनकी कहानियों पर भारतीय सिनेमा के कई महानतम सर्जकों ने फिल्में बनाई हैं।

उनसे मुलाकात से पहले मैं उन्हें उनके काम से जानता था। उनसे मिलने के बाद उनके व्याख्यान और चर्चाएं को सुनने के कई अवसर मिले थे। वे बंगाल से बाहर श्रोताओं को अक्सर हिन्दी में संबोधित करती थी। अगर हम व्याकरण के नियमों पर ध्यान दें, तो उनके कई वाक्य गलत हो सकते हैं। इसके बावजूद, वे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके द्वारा व्यक्त विनम्रता, दृढ़ता, शब्दों की सरलता और विचारों की जटिलता श्रोताओं को जड़मूल से परिवर्तित कर देती थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जिनका जीवन महाश्वेता देवी के शब्दों की वजह से बदल गया था।

मैं जब उनसे मिला वे 72 साल की थीं, तब उन्हें भारत और विदेश अच्छी भारी ख्याति प्राप्त थी और उन्हें मैगसेसे, ज्ञानपीठ और पद्मश्री जैसे पुरस्कार मिल चुके थे। इसके बावजूद, जब भी वे बड़ौदा में आठ-दस दिन रुकती थी, तब वे मेरी पत्नी और मेरे साथ हमारे घर में रुकने लगी थी, तब हमें पता चला है कि उनका जीवन कितना मुश्किल भरा था। जैसे, 75 साल की उम्र में भी महाश्वेता देवी के पास अपना घर नहीं था। वे बालीगंज स्टेशन, कोलकाता के पास किराये के मकान में रहती थी और अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए उन्हें कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। उनका विवाहित जीवन आसान नहीं रहा, और आगे उनके पुत्र के साथ भी उनके रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे - जो खुद एक अच्छे कवि हैं। बड़ौदा में हमारे साथ रहने के दौरान हमें उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में पता चला, जिनमें एकाकीपन था और जिनके बारे में गलतफहमी व्याप्त थी। इसके बावजूद, वे अपने पर दया नहीं दिखाती थी या अतीत या कल्पनाओं नहीं रहती थी। वे व्यावहारिक थी और सिद्धांतों के लिए लड़ने वाली थी।

बड़ौदा में आखरी मुलाकात के समय वे 85 वर्ष की थी। 85 साल की उम्र में भी वे ऊर्जा से भरपूर थी। लेकिन फिर वे जल्द ही अशक्त होने लगीं। आखिर के एकाध वर्ष से वे मनोभ्रंश का शिकार हो गई थी। लेखक और रचनाकार अपने समय से आगे की सोचते हैं। महाश्वेता देवी का सृजन कार्य इतना असाधारण है कि सदियों के लिए भावी पीढ़ियों को लाभ होगा। वह हास्यवृत्ति, गीतों के लिए उनका लगाव, हृदय को स्पर्श करने वाली मासूमियत - इन सबकी मूर्ति, महाश्वेता देवी - अब नहीं रही। के.जी. सुब्रमण्यम, नारायण देसाई और यू.आर. अनंतमूर्ति जैसे बुद्धिजीवियों के बाद अब महाश्वेता देवी के प्रस्थान से भारत को काफी नुकसान पहुंचा है।

- जी.एन. डेवी

(1998 में डिनोटिफाइड और खानाबदोश जनजातियों के राइट्स एक्शन ग्रुप की स्थापना के लिए जी.एन. डेवी ने महाश्वेता देवी के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने इस कार्य के लिए तेजगढ़ में आदिवासी अकादमी बनाई थी। इस कार्य के लिए उन्होंने 12 साल तक विभिन्न राज्यों का दौरा किया था। डेवी धारवाड़ कर्नाटक में रहती है। (स्रोतः http://indianculturalforum.in/2016/07/29/mahasweta-devi-living-for-justice-living-forever/)

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, अरविंद अग्रवाल, रमेश पटेल : ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. के. गुप्ता

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।